

I/16438/2022

Urgent

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0  
निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

**समाहर्ता-सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी,**

पटना / भोजपुर(आरा) / वैशाली / भागलपुर / सारण / सिवान / गया /  
दरभंगा / समस्तीपुर / रोहतास / मुजफ्फरपुर / पूर्वीचम्पारण(मोतीहारी) / नवादा /  
कैमूर (भभूआ) / औरंगाबाद / गोपालगंज / मधुबनी / बक्सर

**बन्दोबस्त पदाधिकारी,**

मुंगेर / शेखपुरा / लखीसराय / बेगूसराय / सुपौल / किशनगंज / नालन्दा / जमुई /  
सीतामढ़ी / खगड़िया / सहरसा / मधेपुरा / पूर्णियाँ / अररिया / कटिहार / अरवल /  
पश्चिम चम्पारण (बेतिया) / जहानाबाद / बाँका / शिवहर

**राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान,**

बोधगया / शास्त्रीनगर, पटना।

विषय :-

महाशय,

आय-व्यय विवरणी के साथ विहित प्रपत्र में अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के सम्बन्ध में कहना है कि निदेशालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न बन्दोबस्त कार्यालयों को मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण अन्तर्गत वेतनादि मद एव वेतनादि मद से भिन्न मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न आवंटनादेशों द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया गया है।

इसके अतिरिक्त मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 103- भू-अभिलेख - उप शीर्ष -0106- सीमा स्तम्भों का परिचालन- माँग संख्या- 40- विपत्र कोड- 40-2029001030106 के अन्तर्गत ईकाई कोड- 27 01 के अन्तर्गत सीमा स्तम्भ के निर्माण हेतु भी वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटन उपलब्ध कराया गया है।

समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि बन्दोबस्त कार्यालयों द्वारा आवंटन की माँग तो की जाती है, परन्तु पूर्व में उपलब्ध कराये गए आवंटन के संबंध में व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि पत्र के साथ परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न विहित प्रपत्र में अपने-अपने कार्यालय से संबंधित वित्तीय वर्ष 2021-22 में अबतक उपलब्ध कराये गए आवंटन, अबतक किया गया व्यय तथा फरवरी 2020 तक की आवंटन अधियाचना मद वार, शीर्ष वार दिनांक 25.01.2022 तक निश्चित रूप से ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में किसी भी परिस्थिति में आवंटन निर्गत नहीं किया जाएगा तथा इसकी जिम्मेवारी संबंधित बन्दोबस्त कार्यालय की होगी।

3. चूँकि वित्तीय समाप्ति की ओर है। अतः अनावश्यक आवंटन की माँग नहीं करने की कृपा की जाय। अनावश्यक आवंटन की माँग करने के पश्चात् व्यय नहीं होने की स्थिति में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे तथा उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

**कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।**

अनुलग्नक :- विहित प्रपत्र परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न

विश्वासभाजन

Signed by Jai Singh

Date: 22-01-2022 14:01:28

प्रतिलिपि:-

1. संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

परिशिष्ट-1

भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय नियंत्रणाधीन विभिन्न बन्दोबस्त कार्यालयों / प्रशिक्षण संस्थान के लिए प्राप्त आवंटन आय-व्यय एवं अधियाचना संबंधि प्रपत्र।

बन्दोबस्त कार्यालय / जिला / प्रशिक्षण संस्थान का नाम :-

क्र०सं० (A)	विषय शीर्ष	विषय शीर्ष का ब्यौरा	अवतक प्राप्त कुल आवंटन	अवतक किया गया कुल व्यय	किये गए व्यय का प्रतिशत	शेष उपलब्ध आवंटन (5-4)	फरवरी 2022 तक के लिए कुल अधियाचना	फरवरी 2022 तक के लिए अतिरिक्त अधियाचना (8-7)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01 01	वेतन							
2	01 03	जीवन यापन भत्ता							
3	01 04	मकान किराया भत्ता							
4	01 05	परिवहन भत्ता							
5	01 06	चिकित्सा भत्ता							
6	01 07	अन्य भत्ता							
7	02 01	मजदूरी							
8	06 01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति							
9	11 01	यात्रा व्यय							
10	13 01	कार्यालय व्यय							
11	13 02	वाहन का ईंधन एवं							
12	13 03	दुरुभाष							
13	13 04	विद्युत प्रभार							
14	13 06	बर्दी / पोशाक							
15	13 10	भाड़े की गाड़ी का भुगतान							
16	14 01	किराया महसूल एवं कर							
17	20 03	प्रशिक्षण व्यय							
18	26 01	विज्ञापन एवं प्रकाशन							
19	27 02	अनुश्रवण एवं मरम्मत							
20	28 02	सविदा सेवाएँ							
21	28 04	व्यवसायिक/कला/							
22	52 01	मशीनें एवं उपस्कर							
(B)	27 01	सीमा स्तम्भों का परिवालन							

नोट :- उपरोक्त प्रतिवेदन में बकाया वेतन की राशि सम्मिलित नहीं किया जाय। बकाये वेतन की राशि के लिए कर्मचार अलग से अधियाचना प्रेषित की जाय।